



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 169]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 17, 2013/पौष 27, 1934

No. 169]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 17, 2013/PAUSA 27, 1934

सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2013

का.आ. 178(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, यहां संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारियों का इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 99 के कि.मी. के निर्माण (चौड़ीकरण, पुनसंरक्षण आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन एवं प्रचालन के लिए उक्त अनुसूची के कॉलम (4) (5) (6) तथा (7) में क्रमशः उल्लिखित जिलों, तालुक, पुलिस स्टेशन तथा गांवों से संबंधित उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में संगत प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के खंड के संबंध में उक्त अधिनियम के अंतर्गत उल्लिखित प्राधिकारियों के कार्य करने के लिए एतद्द्वारा सक्षम प्राधिकारियों के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 99 पर भूमि का अधिग्रहण

क्र.सं.	सक्षम प्राधिकारी	भूमि खण्ड	जिला	तालुक	पुलिस थाना	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, चतरा	किमी. 37/1	चतरा	सिकिद	चतरा	सिकिद (तरनवा)
		किमी. 39/1		सिकिद	चतरा	सिकिद (भूरियाडीह)
		किमी. 57/2		बड़गांव	चतरा	बड़गांव
		किमी. 76/1		सिमरिया	सिमरिया	कसरी

[फा. सं. एनएच-12037/41/2012-एलडब्ल्यूई-जेएच]

माया प्रकाश, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 2013

S.O. 178(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed hereto as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to districts, taluk, police station and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for building (widening/re-alignment, etc.) maintenance, management and operation of the National Highway No. 99 in the State of Jharkhand.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. 99 in the State of Jharkhand

Sl. No.	Competent Authority	Stretch of Land	District	Taluk	Police Station	Name of Village
1	2	3	4	5	6	7
1	District Land Acquisition Officer, Chatra	Km. 37/1	Chatra	Sikid	Chatra	Sikid (Tarvanawa)
		Km. 39/1		Sikid	Chatra	Sikid (Bhuriyadih Tola)
		Km. 57/2		Bargaon	Chatra	Bargaon
		Km. 76/1		Simariya	Simariya	Kasari

[F.No. NH-12037/41/2012-LWE-JH]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.